# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 144/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 15.06.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/144

घनश्याम लाल पिता शंकर लाल ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः– अशोक कुमार पिता घनश्याम लाल ब्राह्मण, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–करणमल पिता रंगलाल दाणी, उम्र 72 वर्ष, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ आदेश कमांक/रीड़र/अति. हटाना/2020/106 दिनांक 18/20.02.2020**

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
3– श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

| प्र. सं. 144/2022 (रा. अ.) |
| --- |
| घनश्याम लाल पिता शंकर लाल ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः–अशोक कुमार पिता घनश्याम लाल ब्राह्मण निवासी डूंगला बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला वगैरा |

## निर्णय

**दिनांक 06.06.2024**

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक/रीड़र/अति.हटाना/2020/106 दिनांक 18/20.02.2020 को जारी किया। उक्त आदेश के तहत यह प्रकट किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में दिनांक 28.02.2020 को 12.00 पी. एम. ग्राम डूंगला के खसरा नम्बर 1981 से नाजायज कब्जा हटाया जाएगा। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. सिविल रीट पीटीशन नम्बर 16826/2019 में दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय के क्रम में तहसीलदार, डूंगला द्वारा जारी आदेश क्रमांक/रीड़र/अति.हटाना/2020/106 दिनांक 18/20.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अतः अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सूचना पत्र जारी कर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, डूंगला से पत्रावली प्राप्त हुई। प्रार्थी करणमल दाणी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया ने अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियत 10 जा. दी. प्रस्तुत कर उसे प्रकरण में पक्षकार कायम करने का निवेदन करने पर बाद सुनवाई प्रार्थी करणमल दाणी को प्रकरण में पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संयोजित किया गया। अतः उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला ने अपने आदेश क्रमांक/रीड़र/अति. हटाना/2020/106 दिनांक 18/20.02.2020 में प्रासंगिक पत्र से जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के पत्र की छायाप्रति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. सिविल रीट पीटीशन नम्बर 16826/2019 श्री करणमल पिता रंगलाल दाणी निवासी डूंगला बनाम 1 राज्य जरिये ग्रामीण विकास जयपुर वगैरा में आदेश दिनांक 04.12.2019 से ग्राम डूंगला पटवार मण्डल डूंगला के खसरा नम्बर 1981 पर से अपीलांट का नाजायज कब्जा हटाने का आदेश दिया गया ऐसा तथ्य आदेश मे वर्णित किया जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का

डी. बी. सिविल रीट पीटीशन नम्बर 16826/2019 आदेश दिनांक 04.12.2019 में कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है कि ग्राम डूंगला के खसरा नम्बर 1981 से अपीलांट का कब्जा हटाने का आदेश दिया गया हो। बल्कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश है कि प्रार्थी (करणमल दाणी) को यह निर्देशित किया गया है कि वह PLPC, Chittorgarh (पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल, चित्तौड़गढ़) के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और पीएलपीसी प्रार्थी के प्रतिवेदन पर Objectively Consider करते हुए यदि उसे सही पाये तो अतिक्रमी पर सीधे कार्यवाही 3 माह की अवधि में करे। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में दिनांक 28.02.2020 को अपीलांट का कब्जा मौके से हटाये जाने का जो आदेश पारित किया है वह आदेश सर्वथा तथ्यों के आधार पर गलत होने से निरस्त योग्य है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में क्या कोई भी प्रतिवेदन शिकायतकर्ता प्रार्थी करणमल दाणी की ओर से पीएलपीसी सेल के समक्ष प्रस्तुत किया या नहीं और यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ तो उस पर क्या कोई कार्यवाही पीएलपीसी द्वारा की जाकर प्रार्थी की शिकायत को सही मानकर अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया। परन्तु तहसीलदार द्वारा जो कब्जा हटाने का आदेश पारित किया है उसमे किसी भांति पीएलपीसी में शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं शिकायत के संबंध में पीएलपीसी द्वारा किसी तथ्यों को जांचा गया हो और उसके आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए अतिक्रमण को हटाने बाबत कोई आदेश पारित किया हो ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता और न ही कोई ऐसी कार्यवाही पीएलपीसी द्वारा संपादित ही की गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार, डूंगला का आदेश क्रमांक/रीड़र/अति. हटाना/2020/106 दिनांक 18/20.02.2020 निरस्त फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय बिलानाम पड़त भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

| प्र. सं. 144/2022 (रा. अ.) |
| --- |
| घनश्याम लाल पिता शंकर लाल ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः–अशोक कुमार पिता घनश्याम लाल ब्राह्मण निवासी डूंगला बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला वगैरा |

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलांट द्वारा ग्राम डूंगला की आराजी नम्बर 1981 पर पक्की दीवाल जो कि लगभग 400 फीट लम्बी है तथा करीब 6 फीट ऊंची है बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जो कि अनुचित है इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट भी दायर की गई जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 से अपीलांट के नाजायज कब्जे को अविलम्ब हटाने के आदेश प्रदान किए हैं जिसकी पालना में अधीनस्थ तहसीलदार, डूंगला द्वारा उक्त आदेश से अपीलांट का नाजायज कब्जा हटाने बाबत आदेश पारित किया है जो विधि–सम्मत् है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाकर अविलम्ब अपीलांट का अतिक्रमण हटाने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार, डूंगला को आदेशित फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. सिविल रीट पीटीशन नम्बर 16826/2019 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 में माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता/ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को यह निर्देश प्रदान किए हैं कि वह पीएलपीसी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा पीएलपीसी याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निष्पक्षता से विचार करे और याचिकाकर्ता की शिकायत यदि सही पाई जाती है तो अतिक्रमी पर 3 माह की अवधि में सीधे कार्यवाही करे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रतिवेदन/आवेदन जो कि उनके द्वारा पीएलपीसी के समक्ष पेश किया हो, पीएलपीसी द्वारा उक्त आवेदन पर जांच कर उस पर कोई अंतिम निर्णय पारित कर अपीलांट को विवादित आराजीयात से बेदखली के आदेश दिए हों ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पीएलपीसी के समक्ष आवेदन करने की पुष्टि होती हो।

| प्र. सं. 144/2022 (रा. अ.) |
| --- |
| घनश्याम लाल पिता शंकर लाल ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः–अशोक कुमार पिता घनश्याम लाल ब्राह्मण निवासी डूंगला बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला वगैरा |

अधीनस्थ तहसीलदार, डूंगला अपने आदेश क्रमांक/रीड़र/अति.हटाना/2020/106 दिनांक 19/20.02.2020 से सीधे ही ग्राम डूंगला, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1981 पर से अपीलांट का नाजायज कब्जा हटाने का आदेश पारित कर दिया जो कि प्रथम दृष्ट्या उचित नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक/रीड़र/अति.हटाना/2020/106 दिनांक 19/20.02.2020 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार डूंगला को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पीएलपीसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने तथा पीएलपीसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आदेश पारित करने पर पारित आदेश की पालना में विधि–सम्मत् कार्यवाही करें। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भी यदि उनके द्वारा पीएलपीसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो तो अविलम्ब आवेदन प्रस्तुत करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

**(राकेश कुमार)**